

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

- 1-सलीम खान पिता रसीद खान,
निवासी-नयी बस्ती टेका नागपुर (फरार)
- 2-रउफ बेग पिता मजिद बेग निवासी बेलगांव,
- 3-पूनाराम पिता डन्डीलाल साहू उम्र-55 साल निवासी-बोरी(फौत)
- 4-सन्तुसिंह पिता हगरुसिंह निवासी-सलघट
- 5-लगुनसिंह पिता जगुसिंह निवासी-सलघट
- 6-भादूसिंह पिता पंचमसिंह निवासी-सलघट
- 7-चिकलू पिता सुखराम, उम्र-58 साल, निवासी-बोरी(फौत)
- 8-श्यामलाल पिता चमारसिंह टेकाम।

— — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27/10/2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण पर पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 एवं म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 4(क) का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक-30.08.2001 को समय 17:00 बजे से 19:00 बजे के मध्य, स्थान ग्राम सलघट मानेगांव-दमोह तिराहा थाना बिरसा अंतर्गत 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) को शारीरिक यंत्रणा देकर एवं पर्याप्त व्यवस्था न कर कूरतापूर्ण व्यवहार कारित किया एवं उक्त 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) को अनावश्यक यंत्रणा व पीड़ा देकर एवं पर्याप्त अनुरक्षण नहीं किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था कि ग्राम सलघट में अन्य क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर 39 बैल, 01 गाय, 02 भैंसा मवेशी श्यामलाल, पूनाराम, भादूसिंह, संतुसिंह, लगुनसिंह वगैरह रउफ खान के पास धोपगढ़ ले जा रहे हैं तथा वहां से रउफ खान सलीम खान के पास नागपुर काटने ले जा रहा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान क्रमांक 05/2002 न्यायालय में पेश किया गया।

फाई. क्र.234503000062002

03- प्रकरण में आरोपी पूनाराम व चिकलू की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रकरण का उपशमन कर दिया गया है तथा आरोपी सलीम खान फरार होने से उसके विरुद्ध धारा-299 द.प्र.सं. की कार्यवाही की गई है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण को पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 एवं म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 4(क) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

01. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 30.08.2001 को समय 17:00 बजे से 19:00 बजे के मध्य, स्थान ग्राम सलघट मानेगांव-दमोह तिराहा थाना बिरसा अंतर्गत 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) को शारीरिक यंत्रणा देकर एवं पर्याप्त व्यवस्था न कर कूरतापूर्ण व्यवहार कारित किया ?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) को अनावश्यक यंत्रणा व पीड़ा देकर एवं पर्याप्त अनुरक्षण नहीं किया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06- साक्षी महेश वरलानी अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। उसे पता लगा था कि कोई व्यक्ति गाय, बैल कटंगी ले जा रहे हैं, तो उसने थाने में सूचना दिया था। उसने गाय ले जाते हुए किसी को नहीं देखा था। सूचना पत्र प्रपी-5 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। 39 बैल, एक गाय और दो बोदा को उसने सुपुर्दनामे पर लिया था, जो प्रपी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि आज से करीब दस साल पूर्व की बात है, वह उस समय गौ-रक्षा समिति का सदस्य था और वर्तमान में भी है। उसे ग्राम सलघट से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जानकर कटने के लिए बाहर जा रहे हैं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी पूनाराम, सिकलू, श्यामलाल वहां थे, गांव के लोगों ने उक्त लोगों को रोक कर रखा था। वह नहीं बता सकता कि आरोपी भादूसिंह और सतूसिंह घटनास्थल से भाग गये थे। साक्षी ने अस्वीकार किया कि पशु बैल, गाय आरोपी रउफ खान बेलगांव वालों को देना बताया था, उन लोगों ने उसे यह भी बताया था कि एक जोड़ी बैल ले जाने के बीस रुपये मिलेंगे, किन्तु यह स्वीकार

फाई. क्र.234503000062002

किया कि उसे घटना के समय इस बात की जानकारी मिली थी कि आरोपी सलीम खान बाहर से जानवर कटने के लिए बुलवाता है और नागपुर भेज देता है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जो पशु ले जा रहे थे, वह खेती योग्य थे। साक्षी ने उसका प्रपी-6 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी-5 के द्वारा थाना बिरसा में गांव वालों के द्वारा शिकायत की गयी थी, घटना पुरानी होने के कारण आज घटना की पूरी जानकारी नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि दस्तावेज सत्य है।

07— साक्षी महेश वरलानी अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जिस समय वह मौके पर गया था, वहां कोई भी आदमी उपस्थित नहीं था, वहां गांव के लोगों ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। वह नहीं बता सकता कि जानवर कौन लेकर जा रहा था। प्रपी-5 एवं अन्य सभी दस्तावेजों पर उसने ग्रामवासियों के कहने पर हस्ताक्षर किया था। गांव वालों से शिकायत पत्र लिखवाकर थाने में दे दिया था। उसके द्वारा सुपुर्दनामे पर लिये गये जानवर बिना किसी आदेश के वारासिवनी गौ-रक्षा शाला में पहुंचा दिया गया था। उसके द्वारा वारासिवनी भेजे गए जानवरों की कोई पावती प्राप्त कर प्रकरण या न्यायालय में पेश नहीं की गयी है। साक्षी के अनुसार उक्त जानवर वर्तमान में भी वारासिवनी गौ-रक्षा केन्द्र में है।

08— साक्षी गोवर्धन अ.सा.06 ने कथन किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 10-11 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह मौजूद नहीं था। उससे सिर्फ पंचनामा पर दस्तखत करा लिये गये थे। आवेदन प्रपी-5 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक को जब चैनदास द्वारा सलघट चौक पर जानवर को रोका गया था, तो वह भी गया था, तब वहां पर लोगों ने आरोपीगण के नाम पूछे थे, वहां पर आरोपीगण से पूछने पर उन्होंने सभी जानवर बूचड़खाने ले जाना बताया था। साक्षी के अनुसार चैनदास ने उसे बताया था कि जानवर बूचड़खाने जा रहे हैं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी-8 का कथन दिया था, वह आरोपीगण से मिलकर उन्हें बचाने के लिये झूठा कथन कर रहा है, घटना समय वह उपस्थित था, इसी कारण उसके द्वारा भी थाना बिरसा को प्रपी-5 के माध्यम से रिपोर्ट की गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर नहीं करवाये गये थे, विधिवत कार्यवाही होने पर उसने हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उससे गांव में जो दस्तखत कराये गये थे उसके संबंध में उसे नहीं बताया गया था कि किस बाबद दस्तखत कराये गये हैं। बस्ती में घूम-घूम कर दस्तखत कराये जा रहे थे। उसने गांव वालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। उसके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी,

फाई. क्र.234503000062002

उसके सामने कोई जानवर नहीं पकड़े गये, उसके सामने आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं हुई थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था।

09— साक्षी देबीलाल अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व की है। उसके घर के सामने पुलिस आई थी और उसे हस्ताक्षर करने को कहा था, तब उसने हस्ताक्षर कर दिया था, उसने एक कागज में हस्ताक्षर किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2001 में उसकी पत्नि सलघट की सरपंच थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि जब वह गांव की समिति के लोगों के साथ चौराहे पर गणेशजी की झांकी में बैठा था, तब आरोपी भादूसिंह, सन्तूसिंह, पूनाराम, श्यामलाल, चिखलू 39 बैल, एक गाय एवं दो बोदा लेकर मारते-पीटते घेरते हुए ला रहे थे, उसके द्वारा उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि उक्त जानवर उन्हें रउफ खान ने दिये हैं, आरोपीगण ने यह भी बताया था कि एक जोड़ी बैल के बीस रुपये मजदूरी देने को कहा है। उक्त जानवरों को बोड़ी तक ले जाना है, उक्त सभी जानवर कटने के लिये जा रहे हैं, उक्त जानवरों को नागपुर आरोपी सलीम के यहां भर कर भेज दिया जाता था, उक्त जानवरों को काटकर मांस बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, उक्त जानवरों को छोड़कर भादूसिंह एवं संतूसिंह भाग गये थे, उक्त जानवरों को बिरसा पुलिस ने जप्त की थी।

10— साक्षी देबीलाल अ.सा.07 ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी संतूसिंह, लगुनसिंह, भादूसिंह उसके ही गांव के हैं, वह पूर्व से ही आरोपीगण से परिचित है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर आरोपीगण को नहीं बोला था, वह आरोपीगण से मिल चुका है, इसलिए न्यायालय में सत्य बात नहीं बता रहा है, उसने पुलिस को प्रपी-6 का कथन दिया था, आरोपीगण से उसकी पत्नि सरपंच होने के कारण एवं अच्छे संबंध होने एवं उनके द्वारा उसकी मदद करने के कारण सत्य बात नहीं बता रहा है, पुलिस ने उससे किसी कागज में हस्ताक्षर नहीं करवाये थे, हस्ताक्षर करवाने वाली बात आज झूठी बता रहा है, इसी कारण उसके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई बयान नहीं लिये थे।

11— साक्षी त्रिभुवनदास अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। आरोपीगण ने क्या किया था, उसे जानकारी नहीं है। उसने सुना था कि आरोपीगण के पास थे। उसके समक्ष आरोपीगण से जप्ती नहीं हुई थी। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया है। यह अस्वीकार

फाई. क्र.234503000062002

किया है कि आरोपीगण अवैध रूप से पशुओं को मारते हुए ले जा रहे थे तथा वह आरोपीगण को बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है।

12— साक्षी देवीलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी सलीम को छोड़कर शेष आरोपीगण को जानता है। वह बैल पकड़ते समय मौके पर नहीं था। उसने सुना था कि भादू वगैरह के पास बैल था। उसने चौराहा में बैल देखा था। उसके समक्ष सुपुर्दनामा बाबद् पंचनामा प्रपी-1 बनाया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने प्रपी-2 के अनुसार बैल की जप्ती की गई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा मवेशी की सूची प्रपी-3 बनाई गई थी, जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पूनाराम, श्यामलाल के गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में उसे ध्यान नहीं है। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया। उसे बताया गया था कि बैल काटने ले जा रहे हैं।

13— साक्षी देवीलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि संपूर्ण कार्यवाही हो जाने के बाद गए थे। उनके सामने किसी से बैल जप्त नहीं किए गए थे। थाने वालों ने कहा तो उसने हस्ताक्षर कर दिए थे, उसने जिन कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, उसने उसे पढ़ा नहीं था, पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाए थे, उसके सामने सुपुर्दनामे पर देने वाले मवेशी की सूची तैयार नहीं की गई थी। उससे मात्र हस्ताक्षर कराए गए थे, उसके सामने किसी भी आरोपी से बैलों की जप्ती नहीं बनाई गई थी। उससे मात्र हस्ताक्षर कराए गए थे, किन्तु उसे दस्तावेज पढ़कर नहीं बताये थे, वह नहीं जानता कि किस मवेशी की, किस आरोपी से जप्ती की सूची बनाई गई थी।

14— साक्षी भरतसिंह अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी संतु, भादूसिंह, लगनुसिंह को जानता है तथा शेष आरोपी को नहीं जानता है। वह घटना के समय मौके पर नहीं था और अपने घर पर था। बजरंग दल वालों ने बताए थे कि बैल पकड़े हैं, यह सुनकर वह सलघट गया था। वहां बैल नहीं थे, गौशाला ले गए थे। थाने में जाकर पुलिस ने उससे हस्ताक्षर कराए थे। उसने पुलिस को बयान दिया था। उसने आरोपीगण को बैल ले जाते नहीं देखा था और ना ही उसके सामने आरोपीगण से बैल जप्त किए गए थे।

15— साक्षी कृष्ण कुमार यादव अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दस-बारह साल पहले की है। घटना के समय वह विश्व हिन्दु परिषद के बिरसा ब्लाक का सदस्य था। उसे ग्राम सलघट के ग्रामवासियों द्वारा सूचना

फाई. क्र.234503000062002

दी गयी थी कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बैल (बूढ़े बैल) ले जा रहा है, तो वह सलघट गया था और उक्त संबंध में आवेदन प्रपी-5 थाना बिरसा में दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में जप्त 39 बैल, एक गाय, दो बोदा गौ वंश रक्षण समिति वारासिवनी में पहुंचा दिये थे। गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी को प्रमाण पत्र प्रपी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गांव के किस व्यक्ति द्वारा उसे सूचना दी गई थी, याद नहीं है, समिति के किस व्यक्ति को सूचना दी गई थी, नहीं बता सकता, वह यह नहीं बता सकता है कि प्रपी-5 पर उसके हस्ताक्षर किसने करवाए थे, प्र.पी-7 का पत्र बिरसा समिति द्वारा दिया गया था, जानवर कौन ले जा रहा था और जानवर किसके थे, हस्ताक्षर करते समय कोई आरोपी उपस्थित नहीं था। उसे जानकारी नहीं मिली थी कि उक्त जानवरों को काटने के लिए नागपुर ले जा रहे थे। गौ-रक्षा समिति वारासिवनी के वह पदाधिकारी नहीं है, मामराज शरणागत भी गौ-रक्षा समिति का सदस्य नहीं है, पुलिस ने उनके सामने किसी अभियुक्त की पहचान नहीं करवाई थी।

16- साक्षी सगुनदास अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रपी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके समक्ष आरोपी पूनाराम, चिखलू एवं श्यामलाल को गिरफ्तार करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष बैलों की जप्ती हुई थी, उसके समक्ष आरोपी पूनाराम, चिखलू एवं श्यामलाल की गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई थी।

17- उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्ण अभाव है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण को अपराध करते नहीं देखा है तथा अभियुक्तगण से पशुओं की जप्ती भी प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में आरोपित अपराधों के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में लिखित आवेदन प्र.पी.05 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गई है। उक्त आवेदन प्र.पी.05 के साक्षियों ने ही आवेदन पत्र में लिखित तथ्यों से इंकार किया है तथा विवेचना अधिकारी की साक्ष्य न होने से विवेचना कार्यवाही अप्रमाणित है। संपूर्ण प्रकरण आवेदन पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों की साक्ष्य पर ही आधारित है, जिन्होंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा 39 बैल, 01 गाय व 02

फाई. क्र.234503000062002

बोदा(भैंसा) को शारीरिक यंत्रणा देकर एवं पर्याप्त व्यवस्था न कर कूरतापूर्ण व्यवहार कारित कर उक्त 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) को अनावश्यक यंत्रणा व पीड़ा देकर एवं पर्याप्त अनुरक्षण नहीं किया। अतः अभियुक्तगण श्यामलाल, रउफ, सन्तुसिंह, भादुसिंह, लगुनसिंह को पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 एवं म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 4(क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा 39 बैल, 01 गाय व 02 बोदा(भैंसा) हिफाजतदार महेश कुमार वरलानी को हिफाजतनामा पर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा द्वारा प्रदान किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी सलीम खान फरार होने से प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

20— प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)